न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 67/2022 बउनवानी राजू कांकोरिया बनाम लो.सू.अधि.एवं जिला रसद अधि.स0मा पुत्र स्व0 श्री देवीनारायण कांकोरिया ग्राम व पोस्ट खण्डार

GCMS No-2022/116

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
17.8.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार रसद उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 14.5.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. सम्पूर्ण सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर जितने भी उचित मूल्य दुकानदारो के खिलाफ दिनांक 1.1.2011 से 14.5.2022 तक रसद सामग्री घोटाले–कालाबाजारी की जितनी भी शिकायत समस्त माध्यम से जिला रसद अधिकारी कार्यालय सवाईमाधोपुर को प्राप्त हुई है उन समस्त सम्पूर्ण शिकायती पत्रों की सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत तय निर्धारित समय सीमा मे आवेदक को प्रमाणित नकल उपलब्ध करावे।
2. उचित मूल्य दुकान की पोस मशीन नम्बर 11285 एवं 11290 राजेश कुमार शर्मा (निलम्बित–निरस्त) उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर के पास कब से कब तक रही थी। समस्त दस्तावेजों की सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवायी जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार रसद ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/2022/769 दिनांक 1.8.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 पर चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने एवं चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण तलाश किया जाना सम्भव नही होने के कारण जरिये पत्रांक 696 दिनांक 4.7.2022 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार रसद द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 14.5.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्रो के बिन्दु संख्या 1 एवं 2 मे चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जानी चाहिए थी किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा अभी तक उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः लोक सूचना अधिकारी जिला रसद [illegible] जाता है कि वांछित सूचना (उक्त अवधि मे प्राप्त शिकायतो पत्रो की प्रति एवं पो[illegible]म्बर 11285 एवं 11290 राजेश कुमार शर्मा के पास कब से कब तक [illegible]) अपीलान्ट [illegible] निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट [illegible] निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो[illegible] दाखिल अभिलेख की [illegible] आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:31:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर